संख्या- 282 /2025/ 2085/ चार-2025-1949378

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2025

विषयः उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं अधीनस्थ इकाईयों में समूह 'घ' के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 958/सं0नि0-5(7)/2019-20 दिनांक 09 जुलाई, 2025 तथा निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पत्र संख्या- 126/नौ-3/2025-26 दिनांक 07.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं अधीनस्थ इकाईयों में समूह 'घ' के रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को आबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के साथ ही माह अगस्त, 2025 से जुलाई, 2026 तक उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं अधीनस्थ इकाईयों में रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से निम्नवत् कार्मिकों को रखे जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	पदनाम	आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की संख्या	पारिश्रमिक (कुशल/ अकुशल श्रेणी की दर प्रतिमाह)	प्रस्तावित कार्यालय
1	मेण्डर	08	रू0 14,576.00	लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी
2	चतुर्थ श्रेणी अन्य पद (चपरासी आदि)	08	रू0 14,576.00	लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी

2 उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं अधीनस्थ इकाईयों में समूह 'घ' के रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से 08 मेण्डर व 08 चतुर्थ श्रेणी अन्य कार्मिकों को माह अगस्त, 2025 से जुलाई 2026 तक रखने एवं रू0 14,576.00 प्रतिमाह की दर पर उनका भुगतान किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-1-2024-97 (ल0ऊ0)/ 2016 दिनांक 26, नवम्बर, 2024 यथासंशोधित के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार का होगा।

(6) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार का होगा।

(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर -104- अभिलेखागार -03- राज्य अभिलेख -58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-282/2025 / 2085 (1)/चार-2025-1949378 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in